

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- 1.अपील संख्या – 704 / 2012 / श्रीगंगानगर
- 2.अपील संख्या – 717 / 2012 / श्रीगंगानगर
- 3.अपील संख्या – 718 / 2012 / श्रीगंगानगर
- 4.अपील संख्या – 719 / 2012 / श्रीगंगानगर
- 5.अपील संख्या – 720 / 2012 / श्रीगंगानगर
- 6.अपील संख्या – 721 / 2012 / श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बोलोकोन रबड इण्डस्ट्रीज,
श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री मदन लाल,सदस्य

उपस्थित:

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.पारीक
अभिभाषक

विभाग की ओर से

व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.04.2014

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,श्रीगंगानगर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त छहो अपीलें उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 282 / RVAT/SGNR / 10-11,283 / CST/SGNR / 10-11,284 / RVAT/SGNR / 10-11,285 / CST/SGNR / 10-11,286 / RVAT/SGNR / 10-11,287 / CST/SGNR / 10-11 पारित संयुक्तादेश दिनांक 29.07.2011के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, के संबंध में पारित किये गये हैं तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25,55 व 61(1) के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 09-10 के लिये पारित पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.08.2010 के जरिये आरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज को माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर एवं माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स कुमार एजेन्सी एवं अन्य बनाम कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, बंगलौर 72 एस टी सी 140 के प्रकरण में दिये गये निर्णय के आलोक में अपास्त कर उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में पुनः आदेश पारित करने हेतु सभी छहों अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की हैं।

उपरोक्त छहों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित हैं तथा विवादित बिन्दु एक समान निहित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,घट तृतीय,श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 15.02.2010 को सर्वेक्षण किया गया। बाद जांच दिनांक 19.07.2010 को अभियोग दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित की गई। प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956(जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत त्रैमासिक विवरणियों में साईकिल रबर पेचेज की बिक्री को 4 प्रतिशत की दर कसे कर योग्य मद में दर्शाया गया,जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने साईकिल के अलावा अन्य मोटर वाहन के पंचर रिपेयर में प्रयुक्त होना मानते हुए 4 प्रतिशत के स्थान पर इसकी बिक्री पर कर देयता 12.5 प्रतिशत की दर से मानते हुए अधिनियम के अन्तर्गत 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर केन्द्रीय अधिनियम में सी फार्म के अभाव में क्रमशः 8.5 प्रतिशत,9.5 प्रतिशत एवं 10.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर,शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया। उक्त आरोपित कर,शास्ति एवं ब्याज के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर,उन्होंने माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर एवं माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स कुमार एजेन्सी एवं अन्य बनाम कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, बंगलौर 72 एस टी सी 140 के प्रकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार, निरस्त करने पर पुर्नविचार करने हेतु सभी छहों अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई हैं।

अपील की सुनवाई आरम्भ होते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 29.07.2011 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे, जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.10.2013 को पारित कर दिये हैं(जिनकी प्रतियाँ बहस के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई), इसलिए जिस संयुक्तादेश के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की गई थी, वह आदेश अब अस्तित्व में नहीं रहा है। अतः अपीलें सारहीन (**Infructuous**) हो जाने से अस्वीकार योग्य है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक के कथन का विरोध करते हुए गुणववगुण पर निर्णय करने का तर्क प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.07.2011 एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2011 के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये थे। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने





बताया कि उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः आलोच्य अवधि के कर निर्धारण दिनांक 10.10.2013 को पारित कर दिए हैं।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 29.07.2011 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने से अब अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध विचाराधीन अपील चलने योग्य नहीं रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59] के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामतः राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत उपरोक्त सभी अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्वारा खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल) 16.4.2014
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य